अपील सूचना अधिकार संख्या 90/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23–के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

08.05.2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 24.04.2016 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर से चाही गई सूचना उनके द्वारा अपने पत्रांक 2399 दिनांक 13.05.16 के द्वारा सूचनांओ से वंचित रखने के आश्य से जानबूझकर उपलब्ध नही करवायी गयी है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 24.04.2016 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

1– राजस्थान सरकार निर्वाचन विभाग का पत्रांक एफ(1)(58)रोल/निर्वा/2009/429 दिनांक 27.01.2015 आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख व आर/आर न0 की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
2– पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना।
3– पत्र प्राप्ति से लेकर इस आवेदन का जबाब देने तक जो जो कार्यवाही जिस–2 कर्मकार द्वारा की गई। उसका नाम व पद की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।
4– मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज0 सरकार जयपुर द्वारा मलकियत सिंह सैनी जांच अधिकारी सचिव नगरपरिषद व बी.एल.ओ. श्री सुभाषचन्द्र के विरूद्ध मतदाता पर्चियां लोक सभा चुनाव में वितरित न करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही जिस अधिनियम की जिस धारा के अन्तर्गत नही की है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी के अपील पत्र के संबंध में उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 2658 दिनांक 01.06.16 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल के द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र सं0 6073 दिनांक 24.04.16 की सूचना उनके कार्यालय के पत्र संख्श्या 2399 दिनांक 13.05.2016 के द्वारा समय पर दे दी गई है जिसमें संबंधित अभिलेखो का निरीक्षण कर प्रतिलिप प्राप्त करने के लिए लिखा गया है।

उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने पत्र संख्या 2399 दिनांक 23.05.2016 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई हैः–

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

आप द्वारा चाही उपरोक्त बिन्दु सं0 1 से 4 की सूचना के सबंध में:–

आपको अवगत करवाया जाता है कि सूचना अन्वेक्षण कर ढूंढकर नये प्रारूप की श्रेणी में आती है। राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(च) में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने, मॉडल, आंकडो सबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एवं ऐसे खोजे गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों का निरीक्षण कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतू आवेदन कर सकते है। यदि आप इस सूचना से असन्तुष्ट है तो प्रथम अपीलीय अधिकारी श्रीमान जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष 30 दिवस के भीतर अपील कर सकते है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कें आवेदन पत्र दिनांक 24.04.16 के बिन्दु संख्या 1 में चाही गई सूचना निश्चित सूचना है जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जानी चाहिए थी और शेष बिन्दुओ की सूचना कोई निश्चित नही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिन्दु सं0 2 से 4 के संबंध में दिया गया उक्त उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। किन्तु फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर को यह आदेश दिया जाता है कि बिन्दु सं0 1 की सूचना अपीलार्थी को आदेश प्राप्ति से 7 दिवस में उपलब्ध करवाई जावे एवं शेष बिन्दूओ की सूचनाओ के संबंध में उनके कार्यालय में यदि कोई अभिलेख उपलब्ध हो तो उसका अपीलार्थी को निरीक्षण करवा दिया जावे और उसमें से अपीलार्थी जो भी सूचना लेना चाहे वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे।

आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 08.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर